राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्र.:–एफ4(5)ग्रावि–3/नरेगा/09–10 जयपुर, दिनांक: 2 SEP 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– उपयोगिता/पूर्णता/अन्य प्रमाण पत्रों को जारी करते समय स्वंय का नाम, पदनाम मय दिनांक अंकित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अनेक परिपत्रों के माध्यम से यह निर्देश दिये जाते रहे हैं कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित कार्य करते समय कर्मचारियों द्वारा जब भी हस्ताक्षर किये जावे तो हस्ताक्षरों के नीचे दिनांक, स्वंय का नाम एवं पदनाम स्पष्ट रूप से सदैव अंकित किया जावे परन्तु यह देखा गया है कि अभी भी कतिपय पदाधिकारियों द्वारा इन निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है एवं अस्पष्ट, आधे–अधूरे हस्ताक्षर बिना दिनांक एवं स्वंय का नाम व पदनाम अंकित किये ही प्रमाण पत्र यथा उपयोगिता/पूर्णता /जन्म/विवाह/मृत्यु/पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं। इसी प्रकार निर्माण कार्यो में स्थायी डिस्प्ले बोर्ड भी लगाये बिना पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है एवं भिजवाये जाने वाले फोटोग्राफ पर दिनांक व भवन निर्माण पूर्ण होने की तिथि एवं सम्बन्धित सरपंच/ग्राम सचिव के दिनांकित एवं नाम, पदनाम अंकित किये बिना ही फोटो व पूर्णता प्रमाण पत्र नेमी रूप से जारी किये जा रहे हैं। इस प्रवृत्ति से जहां उत्तरदायित्व भावना की कमी स्पष्ट होती है वहीं दूसरी ओर उक्त प्रमाण–पत्रों के सम्बन्ध में किसी भी संशय अथवा जांच के समय लम्बे समय तक प्रमाण–पत्र जारी करने वाले कार्मिक की जानकारी तक नहीं हो पाती है।

अतः इस संबंध में आप अपने क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान उक्त निर्देशों की पालना नहीं करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(जी. एस. सन्धु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान को उक्त निर्देशों की प्रतिलिपि समस्त विकास/ कार्यक्रम अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, ग्राम सेवक, रोजगार सहायक को उपलब्ध करवाकर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

31/8/09
परियोजना निदेशक, ईजीएस